

28.12.20

## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-103/2018-19

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-860(ii) दिनांक-02/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. हल्का कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार आवेदक एवं क्रेता दोनो जिला-राँची, थाना-सोनाहातु एवं ग्राम पारमडीह टोला, बुकरुडीह के निवासी है। दोनो जाति के कुरमी है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46(1)b के अन्तर्गत आते है। स्थानीय जाँच के अनुसार क्रेता की मृत्यु हो चुकी है। अतः बिक्री की अनुमति नही दी जा सकती है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

### भूमि का विवरण

| मौजा   | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा    |
|--------|---------------|----------|-----------|---------|
| दुल्मी | सोनाहातु/69   | 169      | 127       | 6.5 डी० |
|        |               | 234      | 1928      | 5.5 डी० |

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।